इकाई 20 कृषि मूल्य नीति और खाद्य स्फीति

संरचना

20.0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 कृषि मूल्यों का प्रभाव

- 20.2.1 आय प्रभाव
- 20.2.2 फसलक्रम पर प्रभाव
- 20.2.3 संसाधन आबंटन
- 20.2.4 वितरण प्रभाव
- 20.2.5 औद्योगिक उत्पाद
- 20.2.6 प्रौद्योगिकी
- 20.2.7 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा
- 20.2.8 खाद्य स्फीति

20.3 कृषि मूल्य नीति के निर्धारक कारक

- 20.3.1 उचित पारिश्रमिक
- 20.3.2 न्यायसंगत आय वितरण
- 20.3.3 स्फीति नियंत्रण के लिए स्थिर कीमतें

20.4 कृषि लागत और मूल्य आयोग

- 20.4.1 प्रापण (सरकारी खरीद) कीमतों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
- 20.4.2 आविर्भावी प्रवृत्तियाँ : युक्तीकरण के प्रयास

20.5 खाद्य स्फीति : नीति विकल्प

20.6 सारांश

20.7 शब्दावली

20.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

20.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

20.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- कृषि उत्पादों के उचित ''मूल्य निर्धारण'' का महत्त्व बता सकेंगे;
- पहचान कर सकेंगे कि कृषि कीमतें अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों को कैसे प्रभावित करती हैं;
- उन कारकों को स्पष्ट कर सकेंगे जिन्हें कृषि मूल्य निर्धारित के समय महत्त्वपूर्ण समझा जाता है;

- कृषि लागत और मूल्य आयोग की भूमिका में अंतर्निहित संस्थागत क्रियाविधि और मूल्य नीतियों पर उसके आग्रहों में परिवर्तन का वर्णन कर सकेंगे; और
- ''खाद्य स्फीति'' की संकल्पना की चर्चा कर सकेंगे और कृषि कीमतों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए नीति विकल्पों का सुझाव दे सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

हमें विदित है कि भारत का आधे से अधिक श्रम बल (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) अभी भी कृषि पर आश्रित है और संपूर्ण कृषि और संबद्ध कार्य राष्ट्रीय आय में 15 प्रतिशत से कम योगदान करते हैं। कृषि में उत्पादकता कम है। इसका अभिप्राय है कि कृषि कार्यों में लगे हुए गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या की आय न्यून है। इसके अलावा, कृषि कार्य अनिश्चित पट्टेदारी की दशाओं, घटिया प्रौद्योगिकी, ऋण विपणन सेवाओं आदि के दबावों के अधीन किए जाते हैं। इसलिए इस सेक्टर में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी और गरीबी है। ऐसे परिदृश्य में, जैसाकि इकाई 19 में उल्लेख किया गया है, किसानों को न्यायसंगत और लाभकारी कीमतें प्रदान करने में सरकार की भूमिका ने क्रांतिक महत्त्व ग्रहण कर लिया है। स्मरण करने के लिए, सरकार कृषि उत्पादों की लाभकारी कीमत सुनिश्चित करती है कि : (क) फसल कटाईबाद की अवधि के दौरान किसानों को अपनी फसल बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य नहीं हों, और (ख) फसल विफलता के वर्ष में कृषि कीमतें नियंत्रण से बाहर नहीं निकलें। दूसरे शब्दों में, कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कर उत्पादकों के हितों और (ख) खाद्य कीमतें स्थिर बनाए रखकर उपभोक्ता के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न तंत्र हैं : (i) महत्त्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) (या प्रापण मूल्य) की घोषणा करना; (ii) अपनी विभिन्न एजेंसियों, जैसे FCI के माध्यम से MSP पर फसलों का प्रापण; (iii) कृषि विपणन प्रणाली जैसे बाजार आधारभूत संरचना और गोदामों का सुदृढ़ीकरण; (iv) PDS के माध्यम से कम कीमत पर खाद्यान्नों का वितरण; और (v) आंकड़ा संग्रहण, संसाधन और प्रसारण की व्यापक व्यवस्था के माध्यम से नियमित रूप से कीमतें मॉनीटर करना। यद्यपि हम ''खाद्य सुरक्षा'' पर पिछली इकाई में इन समस्याओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इस इकाई में हम कृषि मूल्य निर्धारण की क्रियाविधि के अध्ययन पर, मुख्य रूप से उन कारकों पर जो कृषि मूल्य निर्धारण की नीति तय करते हैं, CACP (अर्थात् कृषि लागत और मूल्य आयोग) में उस प्रमुख संस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो इस प्रक्रिया के प्रशासन करने के लिए स्थापित की गई हैं। कठिनाइयों और आविर्भावी समस्याओं पर, जिनका सामना CACP) अपने कार्यों के निर्वहन करता है, आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख मुद्दा, जिस पर विशेष रूप से इस इकाई में फोकस किया गया है, ''खाद्य स्फीति'' से संबंधित है। इसमें हम स्थिर कृषि कीमतों द्वारा उसे नियंत्रित करने में निभाई गई भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न भागों पर कृषि कीमतों के प्रभावों पर एक बार पुनः विचार के साथ अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे।

20.2 कृषि मूल्यों का प्रभाव

कृषि कीमतों का प्रभाव समझाने के लिए हमें इस बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस कीमत का उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि, किसान से अंतिम उपभोक्ता तक अपनी यात्रा की भिन्न-भिन्न प्रावस्थाओं पर उसी उत्पाद की अनेक कीमतें नजर आती हैं। इसमें पहली है, ''फार्म गेट कीमत''। यह वह कीमत है जिसे किसान क्रेयता से प्राप्त करता है (जो बहुत मामलों में स्थानीय व्यापारी होता है)। स्थानीय व्यापारी से उत्पाद थोक व्यापारी तक पहुंचने के लिए बिचौलियों के कई स्तरों से होकर गुजरता है। थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को थोक कीमत पर बेचता है जो अंतिम उपभोक्ता को खुदरा मूल्य पर बेचता है। इसलिए जब किसान को लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने की बात होती है तो वह ''फार्म गेट कीमत'' होता है। परंतु फार्म गेट कीमत और खुदरा व्यापारी को उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई अंतिम कीमत के बीच ''भारी कीमत विस्तार'' के कारण किसान को उपभोक्ता कीमत का थोड़ा-सा भाग ही प्राप्त होता है (जिसका अर्थ है कि बहुत मोटा लाभ विभिन्न बिचौलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है) इस प्रकार

''उपभोक्ता द्वारा दी गई अंतिम कीमत = फार्म गेट कीमत + स्थानीय खरीददार की लाभ सीमा + विक्रेता और अन्य व्यापारियों का लाभ + खुदरा विक्रेता की लाभ सीमा + परिवहन और भंडारण लागत + कर''

तथापि, अन्य कारक इष्टतम रहते हुए, यह केवल उच्चतर फार्म गेट कीमत है जो वास्तविक उत्पादक/किसान को अधिक आय सुनिश्चित कर सकती है। इस संदर्भ में यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि फार्म उत्पादों की कीमत का निर्धारण करने से (जैसाकि खाद्यान्नों के MSF के मामले में है) या अन्य फसलों के लिए बेहतर फार्म गेट कीमत सुनिश्चित करने से किसानों को अधिक आय सुनिश्चित करने के अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं। जैसाकि हम जानते हैं, हमारी एक बिलियन से अधिक जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई भाग गरीबी की रेखा से नीचे रहता है, जो अपने भोजन पर अपनी आय का काफी बड़ा भाग व्यय करता है। इसलिए खाद्यान्न कीमतों को नियंत्रण में रखने से ऐसे गरीब परिवारों पर उच्च खाद्यान्न कीमतों का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम किया जा सकता है। दूसरी ओर, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें अन्य क्षेत्रों में कृषि के पैटर्न को प्रभावित करती हैं और समृद्धि के लिए तथा क्षेत्रीय असमानता के लिए भी निर्धारक कारक हो सकता है। इसका कारण यह है कि किसी नियत फसल के लिए अधिक कीमत से न केवल उन किसानों की आय बढ़ती है जो उस खास फसल की खेती करते हैं परंतु इसके प्रतिस्वरूप अन्य किसानों को भी ऐसी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनाकर अपने फसलक्रम परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो इसके लिए आवश्यक है। इसका व्यापक निहितार्थो से भरा चक्रीय प्रभाव रहता है। इस पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे।

20.2.1 आय प्रभाव

यदि किसानों को बाजार के निर्बाध कार्यकरण की दया पर छोड़ा जाता है, तो कृषि अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। इसका कारण यह है कि जिन किसानों के पास अपनी बहुत कम भूमि (2 हेक्टेयर से कम) है या जिन किसानों को

''सीमांत और छोटे किसान'' कहा गया है, भारतीय कृषि आबादी में उनकी संख्या काफी अधिक (2002-03 में 86 प्रतिशत) है। जब उत्पाद की कीमत गिरती है, सामान्यतया उत्पादक आपूर्ति कम कर देते हैं ताकि कम कीमत उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सके। परंतु जब उत्पादक गरीब है, वह आपूर्ति न तो रोक सकता है और न ही घटा सकता है। इसे ही ''आपात बिक्री'' कहा गया है। इसके फलस्वरूप उच्चतर आपूर्ति के कारण कीमतें आगे गिरती हैं जो गरीब किसान की आय के लिए निराशाजनक होता है। बहुधा वे व्यापारियों के कपटपूर्ण व्यवहार से ग्रस्त होते हैं जो समन्वित तरीके में कार्य कर प्रायः कृषि उत्पादों की कीमतें प्रभावित करने की व्यवस्था करते हैं। यह कपट इतना दृढ़ होता है कि व्यापारी किसानों से फसल कम कीमत पर खींच लेते हैं। कम फार्म गेट कीमत अर्थव्यवस्था में गरीबी और असमानता को और गहन बना सकती है।

20.2.2 फसलक्रम पर प्रभाव

किसानों की आय के स्तर के परिवर्तन के प्रतिस्वरूप फसलक्रम में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में, आइये, हम दो फसलों चावल और गेहूँ पर विचार करें। आइए, हम मान लें किः (i) इन दो फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त आदानों का मूल्य नियत है (ii) जो भूमि चावल उत्पादन के अधीन है, उसे गेहूँ उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है, और उत्पादन बढ़ाने की प्रौद्योगिकी दोनों फसलों के लिए उपलब्ध है। इस मामले में गेहूँ की कीमत में वृद्धि का निहितार्थ गेहूँ उत्पादकों के लिए अधिक लाभ होगा। यह चावल उत्पादों को अपनी भूमि और पूँजी गेहूँ उत्पादन में लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार कीमतों के अंतर के कारण फसलक्रम प्रभावित हो जाता है क्योंकि उत्पादन निर्णय लाभ या आय प्रतिलाभ के प्रति अतिसंवेदनशील है। दूसरे शब्दों में, उत्पाद विशेष की कीमत फसलक्रम निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

20.2.3 संसाधन आबंटन

चूंकि किसान कम लाभप्रद फसल के स्थान पर अधिक लाभप्रद फसल चुनता है, जो संसाधन उसके पास है, उन्हें उसने अधिक लाभकारी फसल के उत्पादन के लिए लगा दिया है। यद्यपि यह व्यक्तिशः किसान के स्तर पर ठीक है, परंतु व्यापक स्तर पर भी ऐसा ही प्रभाव हो सकता है। चूंकि अधिक किसान खास फसल की खेती करना प्रारंभ करते हैं, सरकार उस फसल का विपणन सुकर बनाने के लिए संसाधन अपवर्तन करने के लिए बाध्य होगी। उदाहरण के लिए, गन्ने की खेती के लिए चीनी मिलों तक पर्याप्त और शीघ्र परिवहन की आवश्यकता होती है। यदि धान के किसान गन्ने की खेती प्रारंभ करते हैं तो उस क्षेत्र में पर्याप्त सड़कों और परिवहन सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। दूसरे कस्बों में संसाधन उस फसल को उठाने में अंतरित किए जा सकते हैं जिनकी कीमतें उत्पादक के लिए अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभकारी हैं। यही है जो पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि के मामले में हुआ है। 1990 के दशक से पहले, कृषि उत्पादों के निर्यात पर बहुत प्रतिबंध थे। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद किसानों को ज्ञात हुआ कि मोटे अनाज की अपेक्षा नकदी फसलें अधिक लाभप्रद हैं, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक कीमतों पर बिकती

हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन क्रिया में परिवर्तन से ''फसल के अधीन क्षेत्रफल'' में भी अंतर हुआ। उदाहरण के लिए, 1995-96 में ज्वार फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत में कुल क्षेत्रफल का 6.3 प्रतिशत था जो घटकर 2007-08 तक 4.9 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, बाजरा के अधीन क्षेत्रफल भी 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.2 प्रतिशत हो गया। परंतु कपास के लिए तदनुरूपी क्षेत्रफल बढ़कर 3.8 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत हो गया। ऐसे परिवर्तन के परिणाम एकसमान रूप से सकारात्मक नहीं हुए हैं। मोटे अनाजों से चारा और ईंधन (जनसंख्या के अधिक वर्गों के भोजन का बड़ा हिस्सा होने के अलावा) भी उपलब्ध होता है। इन फसलों के कम उत्पादन से समुदाय के अधिक गरीब वर्गों को बाजार से खरीदना पड़ता है, इससे उनका व्यय के स्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

20.2.4 वितरण प्रभाव

आय वितरण पर कृषि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न चैनलों के माध्यम से कार्य करता है। कृषि मूल्यों में वृद्धि से किसानों के आय स्तर में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर, जैसे कीमत बढ़ती हैं, क्रेयता के लिए इसका अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति सिकुड़ जाती है, अर्थात् वास्तविक आय में ह्रास है। परंतु खाद्य पण्यवस्तु है जिसमें मांग की बहुत कम मूल्य नम्यता होती है। इसका अर्थ है कि यदि खाद्य कीमतें बढ़ती हैं तो खाद्यान्नों की मांग बहुत नहीं घटती है। परंतु कृषि कीमतों में वृद्धि से गरीबों का वास्तविक आय स्तर कम हो सकता है, किंतु धनी वर्ग काफी कम प्रभावित होता है, क्योंकि, खाद्यान्न धनी वर्ग के उपभोग व्यय का छोटा-सा भाग होता है। इस प्रकार कृषि कीमतों का वितरणात्मक प्रभाव धनी और गरीब व्यक्तियों के लिए भिन्न होगा। ऐसे प्रभाव के, विशेषकर गरीब किसानों के लिए, अन्य आयाम भी होते हैं। चूंकि गरीब किसान अपनी खाद्य फसल को फसल कटाई के तत्काल बाद बेच देता है और बाद के समय बाजार से अपनी खाद्य आवश्यकताएं खरीदता है, खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि से उनकी गरीबी का स्तर बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए यद्यपि मूल्य वृद्धि गरीब किसानों को सकारात्मक रूप से लाभ देती है परंतु मूल्य वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव (जिसका सामना वे क्रेयता के रूप में करते हैं), उनके लिए अधिक विकट होता है। परंतु धनी किसान जो विक्रेय अधिशेष उत्पादन करते हैं, (उपभोग आवश्यकता और खाद्यान्न भंडारण की क्षमता से अधिक अतिरिक्त फसल), खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि का लाभभोगी है। दूसरे शब्दों में, धनी किसानों की तुलना में गरीब किसानों के लिए वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल है।

20.2.5 औद्योगिक उत्पाद

कृषि मूल्यों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति दोनों क्रियाविधियों से औद्योगिक सेक्टर का उत्पादन प्रभावित होता है। हमने ऊपर देखा है कि कृषि मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीब वर्ग की वास्तविक आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि औद्योगिक माल की मांग में कमी होगी। औद्योगिक माल की कम मांग से औद्योगिक माल का कम उत्पादन किया जाता है। इसके परिणाम में औद्योगिक सेक्टर में कम रोज़गार होता है। आपूर्ति पहलू से अन्य प्रभाव भी है। चूंकि औद्योगिक माल के उत्पादन में आदान के रूप में अनेक कृषि उत्पाद प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए कृषि मूल्यों में वृद्धि

से ऐसे औद्योगिक माल की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अधिक कीमत से औद्योगिक माल के लिए मांग सामान्यतः गिर सकती है। इस प्रकार मांग और आपूर्ति दोनों पहलुओं पर कृषि कीमतों में वृद्धि के कारण औद्योगिकी उत्पादन का संकुचन होता है।

20.2.6 प्रौद्योगिकी

फसल की उच्च लाभकारिता उत्पादकों को बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाकर उस फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। भारत के संदर्भ में, यही है जो उन राज्यों में हरित क्रांति की अवधि के दौरान हुआ है जहाँ इसका अधिक गहरा प्रभाव हुआ है। ऐसे प्रदेशों से सरकार भी अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की काफी अधिक मात्रा खरीदती है। सरकार द्वारा नियमित प्रापण और अधिक सुनिश्चित कीमतें किसानों को उन्नत उत्पादनकारी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृषि उत्पादों की कीमतों में यह वृद्धि प्रौद्योगिकी प्रभाव है।

20.2.7 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा

खाद्यान्नों के लिए विश्व बाजार घरेलू बाजार से भिन्न मंच है। विकसित देशों के उपभोक्ता, (जो खाद्यान्न आयात करते हैं), गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों को अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धी कीमतें विश्व कृषि बाजार में पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण गुणवत्ता जागरूक कृषि उत्पादन के लिए प्रेरक कारक है।

20.2.8 खाद्य स्फीति

विकासशील देशों में खाद्य की बढ़ती हुई कीमतें लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। यह वास्तविकता है कि खाद्य कीमतों का सामान्य स्फीति दर पर सुस्पष्ट प्रभाव होता है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिकलन करने के लिए बहुत मदों को खाद्य मद के रूप में लिया जाता है। सभी वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर और खाद्य कीमतों को साथ लिया जाता है, इसलिए वृद्धि या गिरावट आगे-पीछे होती है। हाल ही के वर्षों में, विशेषकर 2006 से, भारत में कृषि कीमतें अधिक तीव्र दर से बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि फरवरी, 2004 में खाद्य कीमत 4.4 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ी, 2006 में यह 6.1 प्रतिशत, 2007 में 9.2 प्रतिशत बढ़ी और 2010 में 20.2 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई। खाद्य कीमतों की उच्च वृद्धि अपनाए गए नीति उपायों के प्रति अनुक्रिया की कमी दर्शाता है। चित्र 20.1 संक्षेप में, कृषि मूल्य वृद्धि का प्रभाव प्रस्तुत करता है।

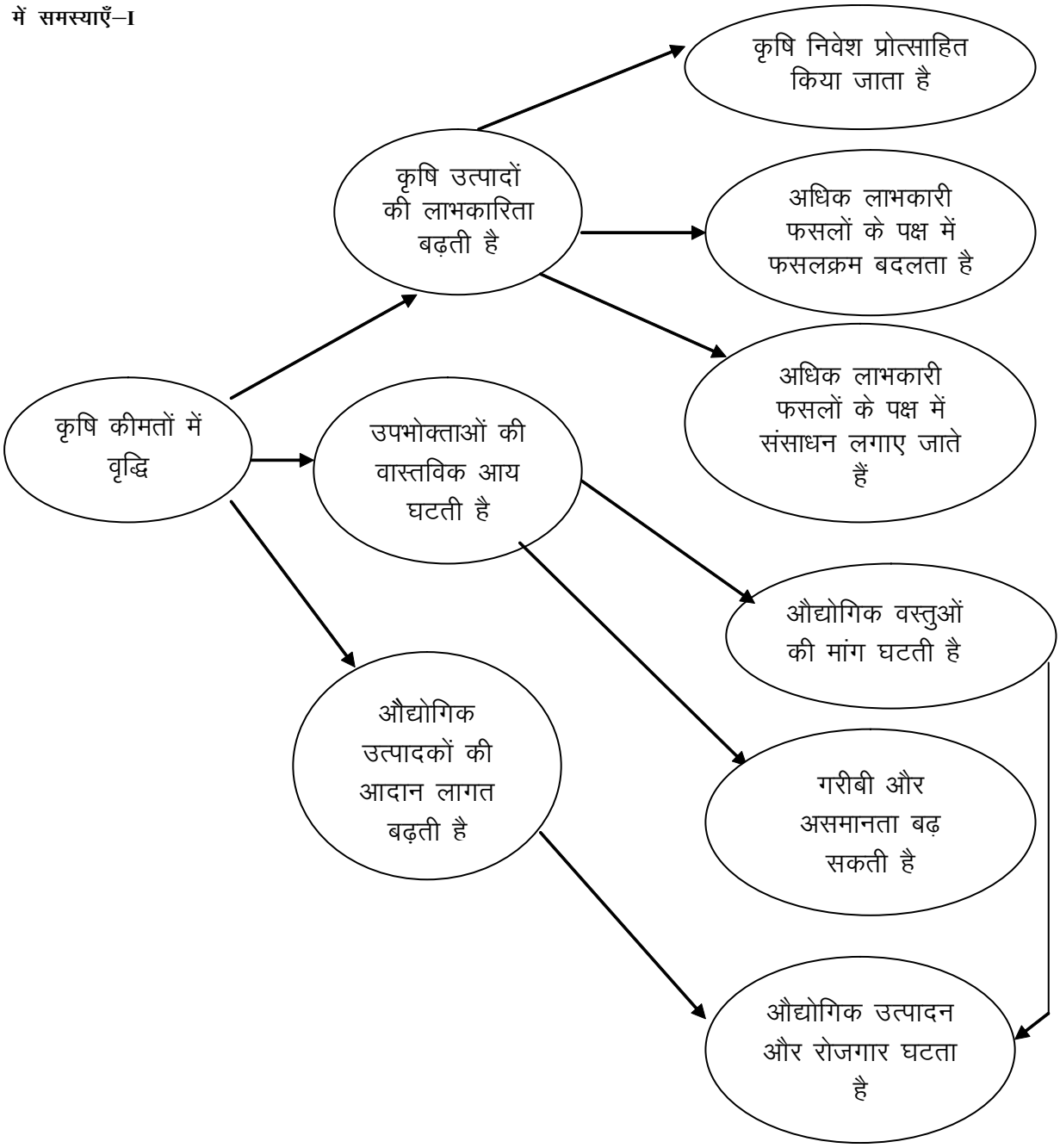

चित्र 20.1 : कृषि कीमत का प्रभाव

बोध प्रश्न 1

नीचे दिए स्थान में अपने प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) कृषि उत्पादों के सरकारी मूल्य निर्धारण के दो उद्देश्य बताइए।

.....

.....

.....

.....

2) भारत सरकार द्वारा कृषि मूल्य नीति के अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रारंभ भिन्न-भिन्न क्रियाविधियों का उल्लेख कीजिए?

.....

.....

.....

.....

3) ''फार्म गेट कीमत'' का क्या अभिप्राय है? दो कारण बताइए कि बेहतर फार्म गेट कीमत पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

.....

.....

.....

.....

4) कम फार्म गेट कीमत भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में गरीबी और असमानता को कैसे प्रभावित करती है?

.....

.....

.....

.....

5) क्या आप सहमत हैं कि (फसलों में कीमत अंतर के कारण) किसानों का बदलता हुआ आय स्तर फसल क्रम को प्रभावित कर सकता है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

6) सामान्य स्तर पर ''संसाधन आबंटन'' पर फसलों में विभेदक लाभकारिता स्तर क्या प्रभाव करता है?

.....

.....

.....

.....

7) कृषि कीमतों का वितरणात्मक प्रभाव गरीब किसानों के लिए प्रतिकूल क्यों है?

.....

.....

.....

.....

8) क्या आप सहमत हैं कि कृषि कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन भी हानि उठाता है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

9) कृषि उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि के ''प्रौद्योगिकीय प्रभाव'' से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

10) ''अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता'' बेहतर गुणवत्ता कृषि उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में कैसे कार्य करता है?

.....

.....

.....

.....

11) ''खाद्य कीमतें'' समग्र स्फीति दर पर प्रबल प्रभाव क्यों करती हैं? हाल ही के किस वर्ष के भारत में खाद्य स्फीति ने अपनी चोटी को स्पर्श किया?

.....

.....

.....

.....

20.3 कृषि मूल्य नीति के निर्धारक कारक

कृषि की कीमतों की निगरानी करने में सरकार की भूमिका उपर्युक्त चर्चा के अनुसार स्पष्ट है। कीमतें इतनी नीचे नहीं होनी चाहिएं कि उनके कारण उत्पादकों को नुकसान हो, बल्कि वे उच्चतर कृषि उत्पादन, निवेश और वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिएं। ये कारक विशेष रूप से विकासशील देशों में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, कीमतें इतनी अधिक ऊँची नहीं होनी चाहिए कि वे उपभोक्ता की क्रयशक्ति को ही क्षीण कर दें। यदि लोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने बजट का बड़ा भाग खर्च करते हैं तो उद्योगों और सेवाओं में मंदन हो सकता है। तब सरकार के लिए कृषि कीमतें निर्धारित करने के बारे में क्या करना आवश्यक है? इस भाग में, हम समुचित कृषि मूल्य नीति के उद्देश्यों और कारकों पर विचार करेंगे जिन्हें उस नीति के निरूपण में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

20.3.1 उचित पारिश्रमिक

80 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। मानसून की अनिश्चितता के अलावा, अपने उत्पाद के लिए बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति का मुख्य जोखिम उन्हें सहना पड़ता है। औद्योगिक उत्पादों के विपरीत, कृषि वस्तुओं में प्रतिस्पर्धी मार्केट की कई विशेषताएँ होती हैं, जैसे (i) उत्पाद स्वरूप में सजातीय होते हैं; (ii) छोटे क्रेयताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है। इन कारकों का अभिप्राय है कि मूल्यों पर उत्पादकों का नियंत्रण नगण्य होता है। इसलिए कृषि कीमतें औद्योगिक माल की अपेक्षा बहुत अधिक अस्थिर होती हैं। उत्पाद की कम कीमत किसान को बर्बाद कर सकती है। इसलिए मूल्य विनियमन प्राधिकरण कीमतें (या कीमतों की रेंज) ऐसे स्तर पर नियत करने का प्रयास करते हैं कि कृषि उत्पादक को न्यूनतम प्रतिलाभ आश्वस्त किये जा सकें। एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कम संपन्न किसान उत्पादन के लिए भारी राशि उधार लेते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यदि वे कम (अलाभकारी) कीमतें पाते हैं, तो उन्हें कर्ज का भुगतान करना कठिन हो जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और अन्य स्थानों जैसे पंजाब, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश के कपास किसानों द्वारा हाल ही के वर्षों में आत्महत्या इसके उदाहरण हैं कि यदि लाभकारी कीमतें नहीं होतीं तो क्या हो सकता है। बहुत मामलों में फसल की विफलता भी संकट बढ़ा देती है परंतु कम कीमत बड़ा कारण है।

उत्पादकों के लिए लाभकारी कीमत का मुद्दा आदानों की कीमत से जुड़ा हुआ है। आदानों की कीमत में तेज़ वृद्धि किसान के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सस्ते आदानों के महत्त्व पर बल दिया। स्वतंत्रता के बाद दशाब्दियों से इसका अनुसरण किया जा रहा है। पिछली दो दशाब्दियों में आर्थिक सुधारों की नीतियों के प्रवर्तन के बाद बहुत से उत्पादन साहाय्य (जैसे किसानों को निःशुल्क बिजली या कम कीमत पर बिजली, सस्ते उर्वरक, बीज और सिंचाई) वापस लिये गए हैं या लिये जा रहे हैं। इसने उत्पादन की लागत बढ़ाकर किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की वृद्धि दर और कृषि में निवेश भी पिछले दशकों की तुलना में 1990 के दशक में घटा है। यह समस्या विशेषकर कृषि आधारभूत संरचना विकास में सार्वजनिक निवेश के ह्रास से संबंधित है। उन सभी कारकों पर जो किसानों के उत्पादन की लागत बढ़ाने में योगदान करते हैं, प्रापण के लिए कृषि कीमतों के निर्धारण के समय यथाविधि विचार करना आवश्यक है।

20.3.2 न्यायसंगत आय वितरण

हमने पहले उल्लेख किया है कि कृषि कीमतें सामान्य आय वितरण को और रोज़गार के स्तर दोनों को प्रभावित करती हैं (देखिए उपभाग 20.2.4 और 20.2.5)। इसलिए नियामक प्राधिकरणों को क्या करना चाहिए? स्वातंत्र्योत्तर भारत में, सरकारी दृष्टिकोण प्रापण कीमत के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करना था। इस प्रकार प्रापण किया गया खाद्यान्न बाद में निर्गम कीमत कहे जाने वाली नियंत्रित सस्ती दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित किया जाता है। चूंकि प्रापण कीमतें प्रायः निर्गम कीमत से

अधिक होती हैं, इसलिए घाटा सरकार द्वारा साहाय्य के रूप में वहन किया जाता है। साहाय्य प्रतिपूर्ति करता है : (i) उपभोक्ता को, क्योंकि PDS दुकानों में निर्गम कीमत खुले बाजार कीमत से कम होती है और (ii) उत्पादकों को, क्योंकि प्रापण कीमत बाजार कीमत से अधिक हो सकती है। चित्र 20.2 इसे रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करता है। यहाँ P_M खुली बाजार कीमत है, जो उचित लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादकों के लिए बहुत कम है और अपनी खाद्य आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक है। इसलिए सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है और कीमत P_C पर किसानों से अनाज खरीदती है जो P_M की अपेक्षा अधिक है।

इसलिए $(P_C - P_M)$ उत्पादों को दिया गया साहाय्य है। बाद में, अनाज सस्ती दर की दुकानों के माध्यम से कीमत P_I पर बेचा जाता है। चूंकि P_I भी P_M की अपेक्षा भी कम है, इस प्रकार $(P_M - P_I)$ उपभोक्ताओं को दिया गया साहाय्य है। इस प्रकार फसल की प्रति इकाई दिया गया कुल साहाय्य प्रापण कीमत (P_C) और निर्गम कीमतें (P_I) के बीच अंतर (अर्थात् $P_C - P_I$) है। परंतु चित्र में दर्शायी गई स्थिति एक आदर्श स्थिति है जो सदा नहीं रह सकती है। कभी-कभी निर्गम कीमत P_I खुला बाजार कीमत P_M की अपेक्षा अधिक हो सकती है। यह तबसे आम बात हो गयी है, जबसे लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। लक्ष्यित PDS में गरीबी की रेखा से ऊपर के वर्ग के लिए निर्गम कीमत उच्चतर स्तर पर निर्धारित की जाती है।

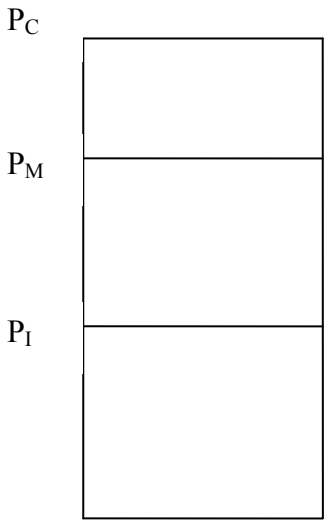

चित्र 20.2 : बाजार कीमत, प्रापण कीमत और निर्गम कीमत

कृषि उत्पादों की कीमतों में सरकार हस्तक्षेप केवल खाद्यान्नों तक ही सीमित नहीं है। कपास, जूट, आदि भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं। खाद्येत्तर स्वरूप के उत्पादों के लिए विभिन्न एजेंसियां जैसे CCI (भारतीय कपास निगम), JCI (भारतीय जूट निगम) और तंबाकू बोर्ड सुनिश्चित करता है कि कीमतें संतुलनकारी भूमिका अदा करें। उत्पादक और उपभोक्ता पर प्रभाव के अलावा, कृषि मूल्य निर्धारण नीति को विभिन्न प्रदेशों के उत्पादकों के बीच अनाज वितरण पर भी विचार करना चाहिए। इस पर आपने इस पाठ्यक्रम की ''इकाई 12'' में विस्तार से अध्ययन किया है। कुछ प्रदेशों में उत्पादित फसलों

की कीमतें अधिक ऊँची निर्धारित करने से उन प्रदेशों के उत्पादक शेष अन्य क्षेत्रों के उत्पादकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं। इसलिए अन्य फसलों के उत्पादक, उन विशेष लाभकारी फसलों के उत्पादन में जा सकते हैं। इससे अन्य प्रदेशों के उत्पादकों में शिकायतें हो सकती हैं। नियामक प्राधिकरणों को प्रापण मूल्य निर्धारित करते समय इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

20.3.3 स्फीति नियंत्रण के लिए स्थिर कीमतें

हमने ऊपर देखा है कि छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि उन कीमतों के बारे में अनिश्चितता होती है जिन्हें वे प्राप्त करने जा रहे हैं। यदि कीमतें उससे अधिक हैं जो न्यूनतम लाभ स्तर अर्जित करने के लिए आवश्यक हैं तो वे बेहतर प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर यदि कीमतें इस स्तर से नीचे गिर जाती हैं, तो किसान सामान्यतः (और छोटे किसान विशेषकर) बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। चूंकि छोटे किसान प्रायः अपने उत्पादन के लिए ऋण पर निर्भर रहते हैं, कीमतों में ऐसा मंदन उन्हें दिवालिएपन की स्थिति में पहुंचा सकता है। इसलिए मूल्य निर्धारण प्राधिकरणों का उद्देश्य न केवल उत्पादकों को लाभकारी कीमत देना होना चाहिए बल्कि कीमतें स्थिर भी होनी चाहिएं। प्रापण कीमतों में स्थिरता का खुले बाजार कीमत पर स्थिरकारी प्रभाव होता है। कीमतों की स्थिरता निवेश, रोजगार आदि के बारे में उत्पादकों की अनिश्चितता कम करती है। अस्थिर कीमतों से खाद्य स्फीति बढ़ने की संभावना होती है। जैसाकि हमने पहले देखा है, उच्च खाद्य स्फीति से सामान्य स्फीति दर बढ़ जाती है। इसलिए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य में स्फीति नियंत्रण द्वारा स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण को महत्त्व दिया जाता है।

बोध प्रश्न 2

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) बहुत कम और बहुत ऊँची कृषि कीमतों के हानिकारक परिणाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

2) क्या आप सोचते हैं कि कृषि बाजार पूर्णतः प्रतिस्पर्धी है? किस प्रकार यह उत्पादकों को प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

3) उत्पादकों के लिए लाभकारी कीमत की समस्या निवेशों की कीमत से किस प्रकार अंतःसंबद्ध है? किस तरीके में इस संबंध में वर्तमान नीति की प्रवृत्तियों ने कृषि उत्पादन और निवेश को प्रभावित किया है?

.....

.....

.....

.....

4) ''निर्गम मूल्य'' क्या है? प्रापण कीमत और निर्गम कीमत के बीच घाटा किस प्रकार पूरा किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

5) क्या ''खुले बाजार की कीमत'' की अपेक्षा ''निर्गम मूल्य'' अधिक हो सकता है? कब?

.....

.....

.....

.....

6) क्या आप सोचते हैं कि प्रापण मूल्य के निर्धारण में क्षेत्रीय मुद्दे भूमिका निभाते हैं? कैसे और क्यों?

.....

.....

.....

.....

7) क्या आप सहमत हैं कि उच्च खाद्य कीमतें सामान्य कीमत स्तर को भी प्रभावित करती हैं? कैसे?

.....

.....

.....

.....

20.4 कृषि लागत और मूल्य आयोग

भारत सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य आयोग (APC) गठित किया। आयोग को ''संतुलित और एकीकृत'' मूल्य ढांचा विकसित करने की दृष्टि से कृषि पण्यवस्तुओं की मूल्य नीति पर सरकार को सलाह देनी थी। इसमें सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य और विशेष रूप से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जाना था। मूल्य नीति और सापेक्ष मूल्य ढांचे की सिफारिश करते हुए आयोग ने निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा: (i) उत्पादकों को उत्पादन अधिक से अधिक करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, और (ii) शेष अर्थव्यवस्था पर, विशेषकर निर्वाह व्यय, लागत मज़दूरी, उद्योग पर प्रभाव, आदि पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव। आप इससे यह देख सकते हैं कि इस बात पर बल है कि उपभोक्ता के हितों के महत्त्व से किसानों के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निवेश द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।

यद्यपि लिखित एवं घोषित नीति यही है, परंतु प्रचालन की दृष्टि से कई विषयों में, विशेषकर स्फीति प्रवृत्तियाँ नियंत्रित करने के बारे में असफल हुई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा प्रापण प्रक्रिया से प्रायः खुले बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने अनुभव किया कि सरकार की मूल्य निर्धारण नीति उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पादकों के पक्ष में अधिक रही है। इसलिए उन्होंने प्रापण नीति के अधीन निर्धारित कीमत स्तर की उच्चतम सीमा निश्चित कर उपभोक्ताओं के संरक्षण का प्रयास किया। फिर भी, कृषि प्रापण कीमतों की लागत में वृद्धि में बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पादन लागत में वृद्धि और उत्पादकों के हित या भावना भी बनाए रखना दोनों कारणों से जारी रही। 1985 में सरकार ने APC का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) रखा। इससे बल स्पष्ट रूप से लागत पर लाया गया। छठी योजना (1980-85) प्रलेख ने यह प्रेक्षण करते हुए स्थिर कृषि निष्पादन और कीमतों पर बल दिया : (i) कृषि पण्यवस्तुओं की कीमतें समग्र या सामान्य मूल्य स्तर के व्यवहार पर प्रबल प्रभाव डालती हैं; (ii) विगत अनुभव बताता है कि सामान्य मूल्य स्तर में सापेक्ष स्थिरता बहुधा अच्छी फसल के वर्षों के साथ होती है और सामान्य समग्र स्फीति दबाव बहुधा कृषि उत्पाद में गिरावट द्वारा उत्पन्न होता है और परिणामतः कृषि मूल्यों में वृद्धि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना ने बल दिया कि छठीं योजना में कृषि उत्पादन कार्यनीतियां अल्प आपूर्ति वाली पण्यवस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। इससे कीमत स्थिरता बनाए रखने में सहायता होगी। सातवीं योजना (1985-90) में प्रेक्षण किया गया कि : (i) प्रोत्साहन कीमतों द्वारा सहायता प्राप्त उच्च उपज की किस्मों के प्रयोग और सरकारी खरीद ने कुछ फसलों, विशेष रूप से गेहूँ के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान किया; (ii) इसके परिणामस्वरूप अधिशेष का निर्माण हुआ जो शीघ्रता से खपाया नहीं जा सकता था, जबकि कुछ अन्य पण्यवस्तुओं के मामले में कमी बनी रही; (iii) कृषि मूल्य नीति आवश्यक है जिससे फसलों के सापेक्ष मूल्य समुचित स्तर बनाए रखने से संबंधित हो ताकि भिन्न-भिन्न पण्यवस्तुओं की आपूर्ति उनकी मांग के अनुरूप होती रहे और (iv) प्रापण क्रियाएं चावल,

तिलहन और दलहन जैसी फसलों के उन क्षेत्रों में सुदृढ़ होनी चाहिए। जहां विपणन आधारभूत संरचना पर्याप्त रूप में विद्यमान नहीं है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेच सकते हैं। इस सभी के फलस्वरूप CACP द्वारा कृषि कीमतों की सिफारिश करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों की सूची तैयार की। कारकों में शामिल हैं : (i) उत्पादन की लागत, (ii) आदानों की कीमतों में परिवर्तन, (iii) आदान-निर्गम कीमत समानता, (iv) बाजार कीमतों में प्रवृत्तियां, (v) अंतर्फसल कीमत समानता, (vi) मांग और आपूर्ति स्थिति, (vii) औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, (viii) सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव; (ix) जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव, और (x) भुगतान की गई कीमत और किसान द्वारा प्राप्त कीमत के बीच समानता (व्यापार की शर्तें)।

20.4.1 प्रापण (सरकारी खरीद) कीमतों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

प्रापण/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मामला वास्तविकता में आसान नहीं है। चूंकि प्रापण कीमत आय के वितरण को प्रभावित करती है, भिन्न-भिन्न दबाव समूह सरकारी प्रापण कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रतिस्वरूप में, यह अनाज प्रापण की मात्रा को प्रभावित करता है। उच्च कीमत किसानों को अपनी फसल की अधिक मात्रा सरकार को बेचने के लिए प्रेरित करती है। परंतु यह सदा उपयोगी नहीं होता है क्योंकि परिवहन और भंडारण के व्यय हैं। हाल ही के वर्षों में, भारत को FCI गोदामों में खाद्यान्नों की ढेर लगने का अनुभव हुआ है। इस समय खाद्य भंडार सिफारिश किए गए बफर स्टॉक मानक का दुगुना है। इससे अनाज की चोरी और बर्बादी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार को खाद्यान्न सड़ने के बदले गरीबों में निःशुल्क वितरित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्षतियों को कम करने के लिए अनाज का निर्यात प्रारंभ करने की सरकार की पद्धति की आलोचना की गई है क्योंकि इससे देशीय खाद्य समस्या की अनदेखी होती है। क्षेत्रीय रूप से संकेंद्रित धनी किसानों की लॉबी बहुधा यह सुनिश्चित करने में सफल हो जाती है कि अनाज के प्रापण का बड़ा भाग परंपरागत हरित क्रांति क्षेत्रों से हो। इस प्रकार धनी उत्पादक सरकार के मूल्य निर्धारण को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं।

20.4.2 आविर्भावी प्रवृत्तियाँ : युक्तीकरण के प्रयास

1990 के दशक के प्रारंभ से सरकार ने नई नीति पैकेज अपनाई है जिसमें साहाय्य और बजट घाटा कम करना शामिल है। स्मरण करें कि प्रापण कीमत और निर्गम कीमत के बीच अंतर साहाय्य (subsidy) है जिसे सरकार देती है। इस साहाय्य को कम करने का एक तरीका प्रापण कीमत कम करना है। दूसरा तरीका, PDS के अधीन निर्गम कीमत बढ़ाना है। किसान लॉबियों से दबाब के कारण प्रापण कीमतें कम करना या प्रापण कार्य कम करना सफल नहीं हुआ। PDS की मात्रा घटाने का एक तरीका था ताकि कुल साहाय्यों में कमी हो। पिछली इकाई के अपने अध्ययन से याद करें कि विकल्प के रूप में सरकार ने दो निर्गम कीमतों की नीति अपनाई है : एक गरीबी के रेखा (APL) से ऊपर के लोगों के लिए और दूसरा, गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) के लोगों के लिए। इससे सुनिश्चित हुआ है कि BPL जनसंख्या PDS की मुख्य लाभभोगी है क्योंकि APL के लिए कीमतें बहुधा बाजार कीमत के समान होती है।

इस बात पर चर्चा हुई है कि PDS में छीजन कम कैसे किया जाए और मूल्य नियंत्रण उपाय की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जाए। आपको विदित ही है कि सर्वेक्षण में त्रुटियों और सरकारी कुप्रबंधन के कारण BPL जनसंख्या के लिए निर्दिष्ट खाद्य अभिप्रेत लक्ष्य समूह तक नहीं पहुंचता है। इसके अलावा BPL आबादी की पहचान भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से ग्रस्त है, जैसे प्रायः बहुत धनी और प्रभावशाली लोग साहाय्य लेने के लिए अपने आपको BPL सूची में रिकार्ड करवा लेते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि उस जनसंख्या के आधे सदस्य जिन्हें BPL कार्ड मिलना चाहिए था, सरकार की BPL सूची में नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार BPL समाप्त करने पर विचार कर रही हैं। इसका प्रस्तावित विकल्प BPL उपभोक्ताओं को खाद्य कूपन (या सीधे नकद) देना है जिसे बाजार से खाद्यान्न खरीदने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 3

नीचे दिये गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

1) 1965 में APC के गठन के समय वे कौन दो कारक थे जिन पर अधिकतम ध्यान दिया गया था? इस संदर्भ में अतिरिक्त बल क्या दिया गया था?

.....

.....

.....

.....

2) स्थिर कृषि निष्पादन और कीमतों पर बल देने के लिए छठी योजना में तीन प्रेक्षण क्या थे?

.....

.....

.....

.....

3) सरकार की कृषि मूल्य नीति में आवश्यक पुनर्भिविन्यास पर बल देने के लिए सातवीं योजना के प्रेक्षणों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4) 1980 के दशक के अंत तक कृषि मूल्यों की सिफारिश करते समय CACP द्वारा किन कारकों को ध्यान में रखे जाने के लिए आवश्यक रूप में पहचान की गई है?

.....

.....

.....

.....

5) उन समस्याओं का उल्लेख कीजिए जो उच्च प्रापण कीमतों के कारण उत्पन्न हुई और किस तरीके में ऐसी स्थिति का सामना किया गया। इस संदर्भ में उच्च बफर स्टॉक भंडार के पीछे क्या राजनीति अर्थव्यवस्था आयाम है?

.....

.....

.....

.....

6) निर्गम और बाजार कीमतों के बीच कीमत में अंतर के संदर्भ में, साहाय्य बिल के न्यूनतमीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

.....

.....

.....

.....

20.5 खाद्य स्फीति : नीति विकल्प

खाद्य कीमतें CPI–स्फीति में लिए बड़ा योगदान करती है। (देखें पाठयक्रम BCCE –002 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्फीतिः 'इकाई 8'' कीमत और कीमत सूचकांक पर भाग 8.2)। यह समय के चलते लोगों के उपभोग स्वरूप पर मूल्य प्रभाव को दर्शाता है। यह खाद्य और ऊर्जा कीमतें हटाने के बाद परिकलित ''कोर स्फीति'' से भिन्न है। बढ़ती हुई आय से उपभोग स्वरूप, सामान्यतया खाद्य मदों और खाद्येत्तर मदों के बीच अंतर करते हुए तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा, उच्चतर प्रोटीन खाद्य मदों की ओर झुकाव होता है। खाद्य स्फीति में भारत में हाल ही की प्रवृत्तियां प्रोटीन समृद्ध खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को दर्शाती है जिनमें फल और सब्जियां, अंडे, गोश्त और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। उच्चतर प्रोटीन समृद्ध खाद्य में यह परिवर्तन सभी प्रदेशों/वर्गों में देखा जा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण भारतीय परिवारों के लिए अनाज पर खाद्य बजट का अनुपात 1987-88 में 40 प्रतिशत था जो गिरकर 2007-08 में 30 प्रतिशत हुआ। इस प्रकार आय स्तरों में वृद्धि होने से अनाज पर मांग दबाब में घटने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्तियों से आगे प्रकट होता है कि यद्यपि सामान्यतः भोजन की खपत प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत से बढ़ रही है, खाद्य मदों के बीच वृद्धि प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं के लिए उच्चतर 4 प्रतिशत पर है और अनाज के लिए निम्नतर 1.5 प्रतिशत पर है।

प्रचुरता की समस्या : FCI द्वारा प्रापण की लागत के आधार पर 24 खाद्य वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचित किया गया है। FPS के माध्यम से सस्ती दरों पर उन्हें जारी करने के लिए अधिशेष राज्य से कमी वाले राज्यों में अनाज FCI ले जाता है। खुली प्रापण नीति का अनुसरण किया जाता है जिसमें FCI विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रापण केंद्रों में लाई गई कोई भी मात्रा खरीदता है। विशेषकर यह गेहूँ और चावल के समग्र उत्पादन का लगभग एक-तिहाई खरीदता है। प्रापण की मात्रा खुले बाजार की कीमत के सापेक्ष MSP के आकर्षण पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप कभी-कभी स्टॉक का संचय भंडारण क्षमता से कई गुणा अधिक हो जाता है। विशाल संचय बफर फसल वर्ष में ''प्रचुरता की समस्या'' पैदा करता है जिससे बर्बादी बहुत अधिक होती है। परंतु इस प्रकार की अत्यधिक आपूर्ति खुले बाजार की कीमतें नीचे नहीं ला सकती, क्योंकि प्रापण कीमतें स्वयं अधिक हैं। सामान्य कारकों, जैसे परिवहन लागत, थोक/खुदरा मार्जिन आदि, विफल मानसून के कारणों से आपूर्ति बाधाएं, नष्ट हुई फसल, जमाखोरी की प्रथा आदि खुले बाजार की कीमतों को ऊँचा रखने में सहायक होते हैं। यही कारण है जो भारत में प्रचुर स्टाक होने के साथ-साथ उच्च कीमतों की स्थिति होती है। प्रापण में वृद्धि से वित्तीय लागतों में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है। भारत में ''खाद्य और उर्वरक'' के कारण साहाय्य 1990 के मध्य में GDP के लगभग 1 प्रतिशत से 2009 में GDP का लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए वित्तीय समेकन मांग नियंत्रण और प्रतिघातों का सामना करने के लिए वित्तीय गुंजाइश निर्माण दोनों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि खाद्य साहाय्य के बदले कृषि में सार्वजनिक निवेश और विस्तार सेवाओं पर व्यय किया जाए क्योंकि ये कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिससे कीमतें नीचे आ सकती हैं। एक अन्य तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्राइवेट सेक्टर की संचालन और भंडारण लागत FCI की अपेक्षा काफी कम है, इसलिए प्रापण और वितरण प्रबंधन में निजी सेक्टर की भूमिका पर विचार किया जाए।

नीति विकल्प : उपर्युक्त चर्चा से ''खाद्यान्न स्टॉक प्रबंधन'' का महत्त्व स्पष्ट होता है, यह पहली नीति विकल्प के रूप में महत्त्वपूर्ण है। दूसरा, ऐसी व्यापक रणनीति द्वारा ''कृषि उत्पादन और उत्पादकता'' बढ़ाना है जिसमें प्रौद्योगिकी, उन्नत जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, कृषि विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा, विपणन और कृषि उद्योग विकास आदि में निजी क्षेत्र के निवेश पर फोकस हो। इस संदर्भ में, गुजरात की सफलता का एकमात्र ऐसे उदाहरण के रूप प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा बृहद दृष्टिकोण कैसे कार्य कर सका। सुझाया गया तीसरा विकल्प है, खाद्यान्न विपणन में निजी सेक्टर की बढ़ती हुई भूमिका द्वारा ''गेहूँ और चावल का प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रापण से सुरक्षा नेट असंबद्ध करना है''। यह विकल्प साहाय्य प्राप्त खाद्य वितरण समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि उद्देश्य हानियों के न्यूनतमीकरण द्वारा प्रबंधन में कार्यक्षमता बढ़ाना है। चौथा विकल्प ''जोखिमों के नियंत्रण के लिए बाजार आधारित साधनों के विकास पर फोकस करना है''। विनिमय/ब्याज दरों में अस्थिरता के कारण पण्यवस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित शिखर पर पहुँच गई हैं। अनिश्चित, राजनीतिक और आर्थिक दशाओं के कारण इनके कम होने की संभावना नहीं है। यह विवाद का आम विषय हो गया है। इसने उधार लेने वालों में और जोखिमों के नियंत्रण में

सहायता के लिए बाजार आधारित साधनों में नीति योजनाकारों में नवीकृत रुचि उत्पन्न की है।

20.6 सारांश

कृषि कीमतें विकासशील देश में प्रमुख भूमिका निभाती हैं जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। यह दो चैनलों के माध्यम से समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभवित करता है। पहला, यदि कीमतें अलाभकारी हैं, यह किसानों के लाभ को प्रभावित करता है जो भिन्न-भिन्न फसलों के अधीन क्षेत्र को प्रभावित करता है और फसलक्रम भी प्रभावित होता है। यह उसी तर्क द्वारा व्यक्तिगत और समग्र स्तरों पर दोनों संसाधन आबंटन को प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण और उससे संबद्ध निवेश निर्णय भी कीमतों में वृद्धि द्वारा प्रभावित होते हैं। दूसरा यह खरीददारों की वास्तविक आय को प्रभावित करता है। यदि कृषि कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं तो यह पहले से ही गरीब लोगों पर और सामान्य गरीबी स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्तरोत्तर प्रभाव से यह औद्योगिक उत्पादों की मांग भी घटाता है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें और औद्योगिक उत्पाद तथा रोज़गार को हानि उठानी पड़ती है।

अतः कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में स्थिरता की अवस्था बनाए रखने पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। परंतु भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि मूल्य निर्धारण नीति उपभोक्ताओं की अपेक्षा उत्पादकों के पक्ष में अधिक झुकी होती है। साहाय्य प्रापण मूल्य और निर्गम मूल्य में अंतर पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। साहाय्यों को घटाने के लिए PDS दुकानों पर निर्गम कीमतें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। 1990 के दशक के बाद अपनाए गए आर्थिक सुधारों के संदर्भ में ये मुद्दे नया महत्त्व धारण कर रहे हैं। यद्यपि सरकार साहाय्य को कम करने के लिए बाध्य है, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण प्रापण नीतियां नहीं बदली जा सकी हैं। इन सभी से अनाज खपत गिरी है, प्रोटीन समृद्ध खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी है और बुनियादी खाद्यान्नों, अर्थात् गेहूँ और चावल में PDS स्टाक का अपव्ययी संचयन बढ़ा है।

20.7 शब्दावली

कीमत विस्तार : खाद्य मदों की फार्म गेट कीमत और खुदरा कीमत के बीच अंतर को कीमत विस्तार कहा जाता है। यह संसाधन, परिवहन, विभिन्न बिचौलिये, जैसे थोक और खुदरा व्यापारियों, के लाभ कराधान मार्जिन आदि की गुंजाइश दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा : यह निर्धारित करता है कि माल और सेवाएं विश्व बाजार में बेचे जाने योग्य है कि नहीं। यह उन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कीमत जिस पर कोई माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसकी गुणवत्ता और

व्यापार की शर्तें तथा विश्व बाजार में स्थिति।

निर्गम कीमत : कीमत जिस पर PDS दुकानों के माध्यम से माल बेचा जाता है। गरीब वर्गों की क्रय शक्ति, बाजार कीमत स्तर और सरकार की वित्तीय स्थिति पर साहाय्य प्रभाव को ध्यान में रखकर इस कीमत का निर्णय किया जाता है।

खुला बाजार कीमत : किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना माल के लिए मांग और उसकी आपूर्त्ति की अंतःक्रिया द्वारा यथा निर्धारित बाजार में प्रचालन कीमत।

मांग की मूल्य नम्यता : यह माल के लिए उसकी इकाई कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की अनुक्रियाशीलता मापता है। साधारणतया खाद्य वस्तुओं में विशेषकर गरीब लोगों के लिए मांग की मूल्य नम्यता निम्न होती है। भोजन आवश्यक होने के कारण होता है, आवश्यक मात्रा में कमी पर कीमत वृद्धि का प्रभाव कम होता है।

प्रापण (सरकारी खरीद) मूल्य : भिन्न-भिन्न फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर यह किसानों से फसलें खरीदती है।

व्यापार की शर्त : यह दो सेक्टरों में प्रचलित कीमतों का अनुपात है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि कीमत P_A है, और औद्योगिक कीमत P_B है तब सेक्टरों के बीच व्यापार की शर्त P_A/P_B होगी।

20.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Kapila, U. (ed.), 2009, *Indian Economy Since Independence 2008-09,* Academic Foundation, New Delhi.

2) Misra, S.K. and V.K. Puri, 2010, *Indian Economy,* Himalaya Publishing House, New Delhi.

3) Patnaik, U., 1999, *The Long Transition,* Tulika Publicaions, New Delhi.

4) Raj, K.N., 1990, *Organisational Issues in Indian Agriculture,* Oxford University Press, New Delhi.

20.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

1) देखिए भाग 20.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 20.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 20.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 20.2.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 20.2.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 20.2.3 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 20.2.4 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 20.2.5 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 20.2.6 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 20.2.7 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 20.2.8 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए भाग 20.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 20.3.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 20.3.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 20.3.2 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 20.3.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 20.3.2 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 20.3.3 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 20.4 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 20.4 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 20.4 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 20.4 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 20.4.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 20.4.2 और उत्तर दीजिए।